बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज

E-Mail ID- eescdb@gmail.com

भाडे पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–(NIQ)-08/2025-26

पत्रांक– ..../ बिक्रमगंज दिनांक– ....

कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज के अन्तर्गत नहर सम्पोशण कार्य/आकस्मिक कार्य/उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज के लिए स्कॉर्पियो तथा सोन नहर अवर प्रमंडल, नासरीगंज/कोआथ/बिक्रमगंज/सिद्धिपुर के लिए व्यवसायिक वाहन बोलेरो चालक सहित उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष– 2026–27 के लिए जिला पदाधिकारी रोहतास, सासाराम के द्वारा स्वीकृत दर पर इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :–

नियम एवं भार्ते निम्नवत् है :–

1. भाडे पर वाहन वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए रखा जाएगा।
2. वाहन का मॉडल 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहित सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. भाड़े का वाहन माह अप्रैल–2026 एवं मई– 2026 के लिए दो अवर प्रमंडल पदाधिकारी पर एक गाड़ी रखा जायेगा तथा माह जून 2026 से अक्टुबर 2026 तक सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी हेतु एक–एक गाड़ी एवं माह नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2026 तक दो अवर प्रमंडल पदाधिकारी पर एक गाड़ी तथा जनवरी 2027 से 31.03.2027 तक सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी हेतु एक–एक गाडी रखा जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल बिक्रमगंज हेतु 12 माह के लिए रखा जायेगा।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स इंश्योरेंस PAN CARD, GST NO, आधार नं0 एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगां। वाहन का माइलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
9. वाहन की आपूर्ति का भुगतान जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा स्वीकृत दर पर किया जायेगा। इंधन खर्च का भुगतान अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा। कोटेशन दात्ता के साथ रूपये– 1000/– (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/ड्राइवर की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आव यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आव यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. वाहन का उपयोग एकरारनामा अवधि में वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
13. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का

दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

14. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
15. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
16. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के भार्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक– 05 एवं 06 तथा से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक– 28.03.2026 तक कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे आपराह्न तक समर्पित करेगें, जिसे दिनांक– 28.03.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकत्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
17. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त पर वैद्य कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं को मोबाईल और ई–मेल के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लौटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. कोटेशन के साथ क्रमांक– 06 एवं 07 के कागजात नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अद्योहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या– 7463889375 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(ई0 अरूंजय कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज

पत्रांक 567 / बिक्रमगंज/ दिनांक 20/03/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करते हुए स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0:– Soft Copy (PDF and M.S Word)

20/03/2026
(ई0 अरूंजय कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज
20/03/26